सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग, बिहार
प्रेस–विज्ञप्ति

संख्या– **305**
25/03/2026

केंद्र सरकार ने बिहार के त्रि–स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2025–26 की 15वीं वित्त आयोग के टाईड अनुदान की दूसरी किश्त के रूप में 1203.60 करोड़ रुपये जारी किए

पहली किश्त के रोके गए हिस्से से 2.09 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि उन 3 ब्लॉक पंचायतों और 7 ग्राम पंचायतों के लिए भी केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई है जो अब पात्र हो गई हैं।

"केंद्र द्वारा उपलब्ध कराई गई इस राशि से राज्य की ग्राम पंचायतों में संचालित जनकल्याणकारी कार्यों को नई गति प्राप्त होगी। इससे राज्य की ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों को स्वच्छता, ओडीएफ की स्थिति के संरक्षण तथा सुरक्षित पेयजल जैसी आधारभूत सेवाओं के सुदृढ़ीकरण में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करेगी। परिणामस्वरूप, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्यों के प्रभावी एवं त्वरित क्रियान्वयन को और बल मिलेगा।"

–दीपक प्रकाश, मंत्री, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना

पटना, 25 मार्च 2026 :– दिनांक 24 मार्च 2026 को केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और महाराष्ट्र में पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई)/ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) को पंद्रहवें वित्त आयोग (ग्ट–एफसी) के तहत टाइड और अनटाइड अनुदान के रूप में 4,383.98 करोड़ रुपये जारी किये गए।

बिहार के त्रि–स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2025–26 की 15वीं वित्त आयोग के टाईड अनुदान की दूसरी किश्त के रूप में 1203.60 करोड़ की राशि जारी की गयी है। इसके साथ ही पहली किश्त के रोके गए हिस्से से 2.09 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि उन 3 ब्लॉक पंचायतों और 7 ग्राम पंचायतों के लिए भी केंद्र सरकार द्वारा जारी कर दी गई है जो अब पात्र हो गई हैं।

दिनांक 27 जनवरी 2026 को दीपक प्रकाश, मंत्री, पंचायती राज विभाग, बिहार ने श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, माननीय केंद्रीय पंचायती राज मंत्री, भारत सरकार से शिष्टाचार मुलाकात की थी तथा विभाग से जुड़े विभिन्न विषयों से संबंधित ज्ञापन सौंपा था। 15 वीं वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान के तहत 803.79 करोड़, भ्मंसजी ैमबजवत ळतंदज रूप में अवशेष ₹2622.65 करोड़ एवं राज्य की ग्राम पंचायतों में निर्मित पंचायत सरकार भवनों के क्रियान्वयन एवं रख–रखाव हेतु प्रति वर्ष वित्तीय सहायता प्रदान करने का अनुरोध पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार से किया था। मंत्री, पंचायती राज विभाग,

बिहार ने माननीय पंचायती राज मंत्री, भारत सरकार से राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के तहत केन्द्रांश मद की अवशेष 83.00 करोड़ रुपये की राशि विमुक्त करने का अनुरोध भी किया था। साथ ही राज्य के जिला पंचायत संसाधन केंद्रों में कंप्यूटर लैब के सुदृढ़ीकरण एवं ई–गवर्नेंस कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा पंचायत स्तर पर आईटी आधारित सेवाओं के सुचारु क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत उक्त मद हेतु बजट में यथोचित वृद्धि प्रदान करने का आग्रह मंत्री, पंचायती राज विभाग,बिहार द्वारा पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार से किया गया था।

राशि जारी होने के उपरांत दीपक प्रकाश, मंत्री, पंचायती राज विभाग, बिहार ने राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, माननीय मंत्री, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार को धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा उपलब्ध कराई गई इस राशि से राज्य की ग्राम पंचायतों में संचालित जनकल्याणकारी कार्यों को नई गति प्राप्त होगी। इससे राज्य की ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों को स्वच्छता, ओडीएफ की स्थिति के संरक्षण तथा सुरक्षित पेयजल जैसी आधारभूत सेवाओं के सुदृढ़ीकरण में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करेगी। परिणामस्वरूप, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्यों के प्रभावी एवं त्वरित क्रियान्वयन को और बल मिलेगा। राज्य के त्रि–स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाते हुए ग्रामीण परिवेश में समाज के अंतिम तबके तक सरकार की जन–कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाना विभाग का परम ध्येय है। इस दिशा में विभाग तेजी से कार्य कर रहा है।

————————————————